न्यूज़ टुडे

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जल्द ही एक व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट बनाएगा

केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन/ मानव रहित हवाई वाहनों (UAV) के बढ़ते खतरे पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस मुद्दे से निपटने के लिए रक्षा और अनुसंधान संगठनों को शामिल करते हुए **'समग्र सरकार (whole of government)' दृष्टिकोण अपनाने** पर जोर दिया।

एंटी-ड्रोन या ड्रोन रोधी प्रणालियां

- **इसके बारे में:** इन विधियों या प्रणालियों का उपयोग **अनधिकृत UAV या ड्रोन का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उन्हें निष्क्रिय** करने के लिए किया जाता है। ये ड्रोन सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, जैसे विस्फोटक ले जाना, निगरानी करना या हवाई क्षेत्र में हस्तक्षेप करना आदि।
- **उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी:** इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) स्पूफर्स, नेट गन, आदि शामिल हैं।

भारत में एंटी-ड्रोन यूनिट की आवश्यकता क्यों है?

- **बढ़ते खतरे:** सीमाओं पर अवैध गतिविधियों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इस वर्ष (2024) भारत की पाकिस्तान से लगती सीमा पर 260 से अधिक ड्रोन निष्क्रिय किए गए हैं।
- **रियल-टाइम में डिटेक्शन, ट्रैकिंग और निष्क्रिय करना:** इसके तहत विशेष रूप से हवाई अड्डों, सैन्य स्थलों, महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं और सार्वजनिक आयोजनों जैसे क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन यूनिट का उपयोग किया जा सकता है।
- **गैर-राज्य अभिकर्ताओं से निपटना:** आतंकवादियों द्वारा नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाने हेतु हथियारों की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।
- **ड्रोन का दोहरा उपयोग:** इसके तहत हथियारों की तस्करी के साथ-साथ **लड़ाकू मिशनों और सैन्य टोही कार्यों** के लिए भी इनका उपयोग किया जा रहा है।
  - **उदाहरण:** हाल ही में, **बांग्लादेश ने बायरकटर TB2 लड़ाकू ड्रोन** का इस्तेमाल किया है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** हाल ही में **मणिपुर** में उग्रवादियों द्वारा विस्फोटक गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

भारत द्वारा हाल ही में अपनाए गए कुछ ड्रोन-रोधी उपाय

- **DRDO की सॉफ्ट किल और हार्ड किल तकनीक:** यह दुश्मन के ड्रोन से निपटने वाली स्वदेशी तकनीक है।
  - **सॉफ्ट किल:** इसके तहत **ड्रोन के संचार लिंक को जाम** कर दिया जाता है।
  - **हार्ड किल:** इसके अंतर्गत **लेजर आधारित प्रणाली से ड्रोन को नष्ट** कर दिया जाता है।
- **लेजर युक्त ड्रोन रोधी गन-माउंटेड प्रणाली:** इसे भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है। इससे ड्रोन का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- **भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का काउंटर ड्रोन सिस्टम (D4 सिस्टम):** यह रियल टाइम में ड्रोन को खोजने, उसे डिटेक्ट करने, उसकी ट्रैकिंग करने और उसे निष्क्रिय करने में सक्षम है।

डिसेंट वर्क इन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस (NBS) रिपोर्ट जारी की गई

इसे **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) द्वारा UNCCD के COP-16** में जारी किया गया है।

- यह रिपोर्ट प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) और रोजगार के बीच संबंध को तथा सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने में NbS की भूमिका को गहराई से समझने का प्रयास करती है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **रोजगार:** वर्तमान में वैश्विक स्तर पर **60.5-63 मिलियन लोग** (कुल वैश्विक रोजगार का 1.8%) NbS में काम करते हैं।
  - इनमें से **95% लोग** एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कार्यरत हैं। अधिकतर लोग **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) द्वारा संचालित NbS रोजगार** में संलग्न हैं।
- **युवा रोजगार:** NbS श्रमिकों में युवाओं (15-29 वर्ष) की भागीदारी लगभग **14%** है।
- **महिला रोजगार:** NbS कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी वैश्विक स्तर पर **1/3** है।
- **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान: वैश्विक GDP में NbS का योगदान केवल 0.3%** है।
- **अवसर:** "ग्रीन-ग्रे" **अवसंरचना** (मानव निर्मित और प्रकृति आधारित दोनों अवसंरचना) **से 2030 तक 20-32 मिलियन नए रोजगार** उत्पन्न होने की संभावना है।

NbS को अपनाने में तेजी लाने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **राष्ट्रीय NbS नीतिगत फ्रेमवर्क को मजबूत करना:** NbS को अवसंरचना, कृषि और अन्य क्षेत्रकों में शामिल किया जाना चाहिए।
- **विविध कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत NbS को शामिल किया जाना चाहिए।
- **NbS कार्यबल में समावेशिता को बढ़ावा देना:** NbS परियोजनाओं में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को शामिल करने के साथ-साथ उचित वेतन, सुरक्षित कार्य दशाएं, सामाजिक संवाद और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- **अनुसंधान और डेटा संग्रहण:** साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए NbS संबंधी रोजगार, कौशल एवं परियोजना आधारित परिणामों पर डेटा संग्रह को बेहतर बनाना चाहिए।

प्रकृति आधारित समाधान (NbS) के बारे में

- **विषय:** इसके तहत **प्राकृतिक और संशोधित पारिस्थितिकी प्रणालियों** के संरक्षण, संधारणीय प्रबंधन एवं पुनरुद्धार के जरिए **प्रमुख सामाजिक चुनौतियों का समाधान** किया जाता है। इससे **जैव विविधता और मानव कल्याण** दोनों को लाभ होता है।
- **उदाहरण:** प्रवाल भित्तियों का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, हरित शहरों का निर्माण आदि।

UNCCD के COP-16 में मरुस्थलीकरण की रोकथाम में देशज समुदायों की भूमिका स्वीकार की गई

संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय (UNCCD) के **पक्षकारों का 16वां सम्मेलन (COP-16) रियाद में** आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में पहली बार **'UNCCD में देशज लोगों का फोरम'** भी आयोजित किया गया।

- इसमें **भूमि संरक्षण और संसाधनों के संधारणीय प्रबंधन में देशज लोगों के अमूल्य योगदान** को रेखांकित किया गया।

देशज लोग (Indigenous Peoples) कौन हैं?

- ये **अनूठी परंपराओं का पालन करने वाले आदिवासी समुदाय** हैं। ये अपनी अनूठी **सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परंपराओं** को संरक्षित रखे हुए हैं। ये परम्पराएं उन प्रभावशाली समाजों से भिन्न हैं, जिनमें वे रहते हैं।
  - देशज समुदायों के उदाहरण हैं- **ऑस्ट्रेलिया के एबोर्जिन्स, न्यूजीलैंड के माओरी, भारत की जनजातियां** (जैसे संथाल, गारो) आदि।
- ये **विश्व की आबादी का केवल 5%** हैं, इसके बावजूद उन्हें **"हरित क्षेत्रों के रक्षक"** (Gatekeepers of green areas) के रूप में मान्यता दी गई है। गौरतलब है कि **विश्व के 22% हिस्से पर हरित क्षेत्र का आवरण** है।

मरुस्थलीकरण से निपटने में देशज समुदायों की भूमिका

- **रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर और कृषि वानिकी में:** उदाहरण के तौर पर- **माया समुदाय के लोगों द्वारा मिलपा नामक पॉलीकल्चर तकनीक का उपयोग किया जाता है।**
- **संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में:** उदाहरण के लिए- **बिलिगिरी रंगास्वामी मंदिर वन्यजीव अभयारण्य** (BRTWS) के प्रबंधन में **सोलिगा जनजाति** प्रमुख भूमिका निभाती है।
- **पुनर्वनीकरण में:** उदाहरण के लिए- भारत की **खासी और गारो जनजातियां** मेघालय में पवित्र माने जाने वाले वृक्षों (Sacred groves) का प्रबंधन करती हैं। इससे वनों का संरक्षण होता है।
- **जल प्रबंधन:** उदाहरण के लिए- **बीदर** क्षेत्र में वर्षा जल संचयन के लिए **करेज या 'सुरंग बावी'** प्रणाली अपनाई जाती है।

देशज लोगों के समक्ष चुनौतियां

- मुख्य चुनौतियां अग्रलिखित हैं- **चरम गरीबी, जबरन विस्थापन, लैंगिक भेदभाव, संसद या विधान मंडलों में कम प्रतिनिधित्व, सामाजिक सेवाओं का पर्याप्त लाभ नहीं मिलना, जलवायु परिवर्तन,** आदि।

देशज समुदाय के उद्धार के लिए की गई मुख्य सिफारिशें

- हरित क्षेत्रों के संरक्षण से जुड़ी **वैश्विक निर्णय प्रणाली में देशज लोगों को भी शामिल** करना चाहिए।
- देशज लोगों को **भूमि अधिकार** दिया जाना चाहिए और **आसानी से वित्त-पोषण** प्रदान करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में देशज लोगों के पारंपरिक ज्ञान को शामिल** करने के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

देशज समुदाय के ज्ञान का उपयोग करके हरित क्षेत्रकों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- **संयुक्त वन प्रबंधन (JFM):** इसके तहत सरकारी नियंत्रण वाली निम्नीकृत वन भूमि के प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाता है।
- **ग्रीन इंडिया मिशन (GIM):** इसके उद्देश्य हैं- भारत के कम होते वन क्षेत्र की रक्षा करना, पुनर्वनीकरण करना और हरित क्षेत्र बढ़ाना।
- **पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL):** यह पारंपरिक ज्ञान का **डिजिटल संग्रह** है। इसका उद्देश्य **बायो-पाइरेसी और गलत तरीके से पारंपरिक ज्ञान के पेटेंट को रोकना है।**
- **वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006:** इसमें वन संसाधनों और वनवासियों की पारंपरिक प्रथाओं पर सामुदायिक अधिकारों को मान्यता देने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

ये दिशा-निर्देश **महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े** केस में जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों के **निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**

- दया याचिका और मृत्युदंड की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना; तथा
- अनावश्यक देरी को रोकते हुए दोषियों के कानूनी अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देशों पर एक नजर

- **दया याचिकाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दया याचिकाओं को संभालने और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएंगे।
- **न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति:** विधि और न्याय विभाग के एक अधिकारी को समर्पित प्रकोष्ठ का प्रभारी बनाया जाएगा।
- **सूचना साझा करना और दस्तावेजीकरण:** जेल प्राधिकरण दया याचिकाओं को समर्पित प्रकोष्ठ में भेजेंगे तथा पुलिस थानों व जांच एजेंसियों से आवश्यक जानकारी मांगेंगे।
- **राज्यपाल और राष्ट्रपति सचिवालयों के साथ समन्वय:** दया याचिकाओं को आगे की कार्रवाई के लिए इन सचिवालयों को भेजना होगा।
- **इलेक्ट्रॉनिक संचार:** गोपनीयता की आवश्यकता वाले मामलों को छोड़कर, दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाएंगे।
- **दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग:** राज्य सरकारें दया याचिकाओं से निपटने की प्रक्रियाओं के विवरण वाले कार्यकारी आदेश जारी करेंगी।
- **कार्यान्वयन:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन के संबंध में रिपोर्ट देनी होगी।
- **सत्र न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश:** इन्हें ऐसे केसों का रिकॉर्ड रखना होगा और लंबित अपीलों के लिए सरकारी अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करना होगा।
- **एक्सेक्यूशन वारंट:** मृत्युदंड के प्रवर्तनीय होने के तुरंत बाद संबंधित **राज्य को एक्सेक्यूशन वारंट के लिए आवेदन करना होगा।**

सुप्रीम कोर्ट की अन्य टिप्पणियां

विलंब का प्रभाव: इसका दोषियों पर अमानवीय प्रभाव पड़ता है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।	**विलंब को चुनौती देने का अधिकार:** दोषी अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट) और अनुच्छेद 226 (हाई कोर्ट) के तहत विलंब को चुनौती दे सकते हैं।	**केस-विशिष्ट निर्धारण:** अनुचित या अत्यधिक देरी को परिभाषित नहीं किया जा सकता है; इसे प्रत्येक केस के आधार पर तय किया जाएगा।

दया याचिका के बारे में

- **संवैधानिक प्रावधान:** संविधान ने **राष्ट्रपति (अनुच्छेद 72) और राज्यपाल (अनुच्छेद 161) को क्षमादान देने या सजा कम करने** की शक्ति प्रदान की है।
  - **मारू राम बनाम भारत संघ (1981) केस** में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि दया याचिकाओं पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा।
- **कानूनी प्रावधान: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 472(1)** के तहत शामिल किया गया है।

बीमा क्षेत्रक के प्रदर्शन की समीक्षा और विनियमन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट लोक सभा में पेश की गई

भारत में बीमा क्षेत्रक की स्थिति:

- **बीमा पैठ:** भारत में बीमा पैठ **2001-02 के 2.71% से बढ़कर 2021-22 में 4.2%** हो गई थी।
  - 2021-22 में बीमा पैठ का वैश्विक औसत 7% था।
- **बीमा घनत्व:** बीमा घनत्व **2001-02 में 11.5 डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 91 डॉलर** हो गया है।
  - 2021-22 में बीमा घनत्व का वैश्विक औसत 874 डॉलर था।
- **बीमा व्यवसाय: 2021 में 3.23% बाजार हिस्सेदारी** के साथ भारत का जीवन बीमा व्यवसाय में **9वां स्थान** था।

भारत में बीमा क्षेत्रक से जुड़ी समस्याएं:

- **मिसिंग मिडिल:** नीति आयोग के अनुसार, भारत की लगभग **30% आबादी स्वास्थ्य बीमा से वंचित** है।
- **सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों के लिए समान अवसरों की कमी:** ये बीमा कंपनियां पर्याप्त पूंजी की कमी से जूझ रही हैं। इसके अलावा, इनके पास नकदी प्रवाह की भी कमी है, जो इनकी दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा कर सकें।
- **नीतिगत रोडमैप का अभाव:** भारत ने **2047 तक सभी के लिए बीमा** का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कोई स्पष्ट नीति या रोडमैप उपलब्ध नहीं है।

बीमा क्षेत्रक को आगे बढ़ाने के लिए की गई सिफारिशें:

- **सुभेद्य वर्गों की वित्तीय सुरक्षा के लिए नए किफायती सूक्ष्म बीमा उत्पाद** विकसित करने की आवश्यकता है।
- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक की बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बीमा उत्पादों पर लागू **GST पर TDS दरों में एकरूपता लाने** की जरूरत है।
- **बीमा कंपनियों को एक ही लाइसेंस** के तहत **जीवन और गैर-जीवन बीमा उत्पादों** की पेशकश करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा और टर्म इंश्योरेंस पर लागू **18% GST दर को घटाकर बीमा को किफायती** बनाना चाहिए।

भारत में बीमा क्षेत्रक के विकास के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI):** इसका उद्देश्य बीमा व्यवसाय की व्यवस्थित संवृद्धि सुनिश्चित करना है।
- **बीमा अधिनियम 1938:** इसके तहत बीमा व्यवसायों के कामकाज के लिए विधायी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।
- **नई योजनाएं:** प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) आदि

GLMC ने "नेविगेटिंग टुमॉरो: मास्टरिंग स्किल्स इन ए डायनेमिक ग्लोबल लेबर मार्केट" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि **भारत और एशिया-प्रशांत क्षेत्र** में भविष्य के कार्यबल के लिए **संज्ञानात्मक कौशल तथा STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षमताएं** प्राप्त करना जरूरी हैं।

- ऐसा **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा साइंस आदि की बढ़ती मांग** की वजह से है।

रिपोर्ट के अनुसार श्रम मांग को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख वैश्विक कारक निम्नलिखित हैं:

- **आर्थिक वैश्वीकरण:** वैश्विक व्यापार से अवसर पैदा होते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। इससे नौकरियां छूटती हैं और कुशल कार्यबल कहीं और प्रवास कर जाता है।
  - **भारत से प्रतिभा पलायन** इसका एक अच्छा उदाहरण है।
- **बदलती जनसांख्यिकी: जापान और दक्षिण कोरिया** जैसे देशों में बढ़ती वृद्ध आबादी की वजह से कार्यबल कम हो रहा है।
  - वहीं अधिक युवा आबादी वाले **भारत** जैसे देश शिक्षा और रोजगार सृजन में निवेश करके **"जनसांख्यिकीय लाभांश" (Demographic dividend)** का फायदा उठा सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी में बदलाव:** मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट (2018) के एक अनुमान के अनुसार **ऑटोमेशन 2030 तक 15% वैश्विक कार्यबल की जगह** ले लेगा।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु आपदाओं की वजह से **आउटडोर कार्य करने वाले लोग और आपातकालीन सेवा जैसे क्षेत्रक प्रभावित** होते हैं।
  - पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं की वजह से **भारत में 32% लोगों को फिर से कौशल प्राप्त** करना होता है। हालांकि, हरित अर्थव्यवस्था से 2030 तक 24 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं।

आगे की राह:

- **श्रम बाजार की जानकारी:** सरकारों को ऑस्ट्रेलिया के मॉडल की तरह प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम को निर्देशित करने के लिए रियल टाइम डेटा साझा करना चाहिए।
- **समावेशी शिक्षा:** भारत के कौशल भारत मिशन जैसे कार्यक्रम वंचित समूहों के लिए कौशल और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं।
- **सरकारी वित्त-पोषण:** सरकारी वित्त-पोषण और प्रोत्साहन से विशेष रूप से लघु उद्यमों एवं व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण से जुड़ी बाधाओं को कम किया जा सकता है।
- **निरंतर लर्निंग की सुविधा:** आजीवन लर्निंग तथा तकनीक और सॉफ्ट स्किल आधारित अपस्किलिंग एवं रीस्किलिंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
  - भारत में, 70% पेशेवर अपस्किलिंग यानी कौशल में सुधार के अवसरों की तलाश करते रहते हैं।

रिपोर्ट में रेखांकित चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के कदम

- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)** चलाई जा रही है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति (NPSDE)** जारी की गई है।
- **विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (VAJRA) फैकल्टी स्कीम** शुरू की गई है।
- **सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान** जैसी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा में निवेश बढ़ाया गया है।

अन्य सुर्ख़ियां

अमृत ज्ञान कोष पोर्टल

हाल ही में **iGOT प्लेटफॉर्म पर अमृत ज्ञान कोष पोर्टल** लॉन्च किया गया। इसे **क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत** ने संयुक्त रूप से विकसित किया है।

अमृत ज्ञान कोष पोर्टल के बारे में:

- **उद्देश्य:** इस पहल के माध्यम से क्षमता निर्माण आयोग का उद्देश्य **शिक्षकों को सशक्त बनाना और पूरे भारत में लोक प्रशासन प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना** है।
- इसमें देश भर की **सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को संकलित** किया गया। ये पद्धतियां **17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 15 के अनुरूप** हैं।
- इसमें **स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और डिजिटल गवर्नेंस** जैसे विविध नीतिगत विषय भी शामिल हैं।

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह सिविल सेवा अधिकारियों के लिए **ऑल-इन-वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म** है।
- **इसके अलावा यह:**
  - लर्निंग को मार्गदर्शन प्रदान करता है,
  - चर्चाओं को होस्ट करता है,
  - करियर का प्रबंधन करता है और
  - अधिकारियों की योग्यता को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने के लिए विश्वसनीय आकलन भी करता है।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS)

RBI के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार **भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यय में उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर** हुआ है।

उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (CCS) के बारे में

- यह अर्थव्यवस्था और व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के बारे में **आशाजनक या निराशाजनक तस्वीर प्रस्तुत करने वाला एक आर्थिक संकेतक** है।
- यह **उपभोक्ता के नजरिये से अर्थव्यवस्था की स्थिति** का आकलन करता है। **उच्च विश्वास** आम तौर पर **उपभोक्ता व्यय में वृद्धि का संकेतक** होता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) **प्रत्येक दो महीनों पर CCS के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास** को मापता है।
- CCS उपभोक्ताओं के फीडबैक को **निम्नलिखित दो सूचकांकों के माध्यम से मापता है:**
  - **वर्तमान स्थिति सूचकांक (Current Situation Index: CSI):** इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों के बारे में उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है।
  - **भविष्य की अपेक्षा सूचकांक (Future Expectation Index: FEI):** इसमें एक साल आगे के बारे में अर्थव्यवस्था, रोजगार और कीमतों पर उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं की माप की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) का गवर्नर

केंद्र सरकार ने **संजय मल्होत्रा को RBI का 26वां गवर्नर नियुक्त** किया।

RBI गवर्नर के बारे में

- **नियुक्ति:** केंद्र सरकार **भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार** RBI गवर्नर की नियुक्ति करती है।
- **नियुक्ति प्रक्रिया: वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति खोज समिति** योग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार करती है।
  - इस समिति में **कैबिनेट सचिव, वर्तमान RBI गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और दो स्वतंत्र सदस्य** शामिल होते हैं।
  - **प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्ति संबंधी कैबिनेट समिति** अंतिम निर्णय लेती है।
- **कार्यकाल:** RBI गवर्नर का **कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं** हो सकता या केंद्र सरकार द्वारा **नियुक्ति के समय निर्धारित अवधि तक** वह पद धारण करता है।
  - वर्तमान (संजय मल्होत्रा) गवर्नर को **तीन साल के लिए नियुक्त** किया गया है।
  - गवर्नर **पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र** होता है।

बीमा सखी योजना

हाल ही में प्रधान मंत्री ने **भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की बीमा सखी योजना** का शुभारंभ किया।

बीमा सखी योजना के बारे में:

- यह एक प्रकार की **मानदेय यानी स्टाइपेंडरी योजना** है। यह महिलाओं के लिए योजना है। इस योजना के तहत **3 साल तक मानदेय** दिया जाता है।
- **मानदेय:** पहले वर्ष में **7,000 रुपये प्रति माह;** दूसरे वर्ष में **6,000 रुपये प्रति माह** और तीसरे वर्ष में **5,000 रुपये प्रति माह।** ये मानदेय कुछ शर्तों के तहत दिए जाते हैं।
- **लक्ष्य: 2 लाख महिलाओं को रोजगार** के अवसर प्रदान करना।
- **पात्रता:** 18-70 वर्ष आयु तथा **न्यूनतम शिक्षा** 10वीं पास।
- **महत्त्व:**
  - प्रशिक्षण प्रदान करना, जिसके बाद वे **LIC एजेंट के रूप में कार्य** कर सकती हैं।
  - वे आगे जाकर **LIC विकास अधिकारी भी बन** सकती हैं।

इंडियन स्टार कछुआ

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि किसी वैज्ञानिक योजना के बिना **कब्जे में रखे गए कछुओं को वन में छोड़ना** उनके संरक्षण के प्रयासों को असफल बना सकता है।

इंडियन स्टार कछुए (जियोचेलोन एलिगेंस) के बारे में

- **इसके बारे में:** ये आमतौर पर अकेले रहते हैं। ये **हाइबरनेट नहीं** करते हैं, लेकिन **अत्यधिक शुष्क/ गर्म/ ठंडा मौसम होने पर निष्क्रिय** हो जाते हैं।
  - यह **मुख्य रूप से शाकाहारी जीव** है। इसका **विशेष ओब्सीडियन** शेल (खोल) होता है, जिसमें **पीले रंग के तारे के आकार के पैटर्न** बने होते हैं।
- **पर्यावास:** यह **उत्तर-पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत और श्रीलंका के शुष्क क्षेत्रों का स्थानिक जीव** है।
- **खतरे:** पर्यावास क्षति, आनुवंशिक विविधता से जुड़ी समस्या, विदेशी पालतू जानवरों के रूप में अत्यधिक मांग, तस्करी, आदि।
- **संरक्षण की स्थिति:**
  - CITES: परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।
  - **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
  - IUCN: वल्नरेबल श्रेणी।

डायमंड बैटरी

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और UKAEA के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली **कार्बन-14 डायमंड बैटरी** बनाई है। यह बैटरी **संधारणीय ऊर्जा स्रोत** है, जो हज़ारों सालों तक कार्य कर सकती है।

डायमंड बैटरी के बारे में

- यह **बिजली पैदा करने के लिए कार्बन-14 के रेडियोएक्टिव क्षय का उपयोग** करती है।
  - कार्बन-14 **रेडियोकार्बन डेटिंग** में इस्तेमाल किया जाने वाला एक **आइसोटोप** है।
  - **कार्बन-14 की अर्द्ध-आयु (हाफ लाइफ) लगभग 5,730** साल है।
- सोलर पैनल की तरह, यह बैटरी भी **ऊर्जा को परिवर्तित** करती है। हालांकि, यह बैटरी **प्रकाश की बजाय रेडियोएक्टिव क्षय** के तेज़ गति वाले **इलेक्ट्रॉन्स** का उपयोग करती है।
- इस पर **हीरे की लेप** चढ़ाई गई है। यह कम दूरी के विकिरण को सुरक्षित तरीके से अवशोषित करती है, और **बिना लीकेज के कम क्षमता वाली बिजली** पैदा करती है।

संभावित उपयोग

- यह बैटरी **पेसमेकर, श्रवण यंत्र और नेत्र संबंधी डिवाइसेज को बिजली** प्रदान कर सकती है।
- यह **अंतरिक्ष मिशनों के लिए उपयुक्त** है, क्योंकि यह सैटेलाइट्स को लंबे समय तक बिजली प्रदान कर सकती है।
- यह **परमाणु अपशिष्ट से कार्बन-14 को निकालकर रेडियोएक्टिविटी और भंडारण लागत कम** कर सकती है। इससे परमाणु अपशिष्ट का बेहतर तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित हो सकता है।

मलेरिया-परजीवी और आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) मच्छर

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले **परजीवी को मलेरिया पैदा करने से रोकने के लिए उस पर आनुवंशिक संशोधन** संबंधी कुछ प्रयोग किए हैं।

- ज्ञातव्य है कि इससे पहले के अध्ययन मुख्य रूप से **GM मच्छरों** पर केंद्रित थे।

मलेरिया परजीवियों के बारे में

- **5 में से 2 परजीवी प्रजातियां (प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स)** मलेरिया का सबसे बड़ा खतरा पैदा करती हैं।
- यह रोग **संक्रमित मादा एनाफिलीज** मच्छरों के काटने से लोगों में फैलता है।

आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) मच्छरों के बारे में

- **प्रभावी मच्छर नियंत्रण** के उद्देश्य से इन्हें **प्रयोगशाला** में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। इन मच्छरों में **दो प्रकार के जीन** होते हैं:
  - **सेल्फ-लिमिटिंग जीन:** यह जीन मादा मच्छर संततियों (offsprings) को वयस्क अवस्था तक जीवित रहने से रोकता है।
  - **फ्लोरोसेंट मार्कर जीन:** इस जीन से युक्त मच्छर एक विशेष लाल बत्ती के नीचे चमकता है, जिससे उसकी पहचान संभव हो जाती है।

बांस की कोपलें (Bamboo Shoots)

एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि **त्रिपुरा की पारंपरिक रूप से किण्वित बांस की कोपलों में मोटापा-रोधी गुण** होते हैं। इन बांस की कोपलों को स्थानीय भाषा में **'मेलये-एमिली'** कहा जाता है।

बांस की कोपल:

- **इसके बारे में:** ये बांस के भूमिगत तनों से निकलने वाले **युवा और कोमल अंकुर** होते हैं।
  - ये खाने योग्य होते हैं और अपने अनूठे स्वाद एवं बनावट के कारण कई एशियाई व्यंजनों के लोकप्रिय घटक हैं।
  - **पूर्वोत्तर भारत के कई नृजातीय समुदाय** पसंदीदा खाद्य पदार्थ के रूप में ताजा या किण्वित बांस की कोपलों का उपयोग करते हैं।
- **पोषक तत्व:** ये **प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फाइबर और खनिजों** से भरपूर होते है तथा इनमें **वसा की मात्रा बहुत कम** होती है।

सुर्ख़ियों में रहे स्थल

NEWS

बुल्गारिया (राजधानी: सोफिया)

ऑस्ट्रिया ने रोमानिया और बुल्गारिया के यूरोप के शेंगेन मुक्त-यात्रा क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बनने पर लगाए गए वीटो को हटाने का निर्णय लिया है।

बुल्गारिया के बारे में

- **भौगोलिक अवस्थिति:**
  - यह **दक्षिण-पूर्वी यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप** में अवस्थित है।
  - **सीमाएं:** इसके **दक्षिण में तुर्की और ग्रीस;** पश्चिम में **नार्थ मैसिडोनिया व सर्बिया** तथा उत्तर में **रोमानिया** स्थित है।
  - इसकी **पूर्वी सीमा काला सागर** से लगती है।
  - यह **नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य** है।
- **भौगोलिक विशेषताएं:**
  - **जलवायु:** महाद्वीपीय से लेकर भूमध्यसागरीय तक है।
  - **प्रमुख नदियां:** डेन्यूब, मैरित्सा, स्ट्रुमा आदि।
  - **सबसे ऊंची चोटी:** मुसाला।